न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 181/18

वादीगण
1—बुधाराम पुत्र पोकरराम
2—छोटूराम पुत्र पोकररामा
3—गणपतराम पुत्र पोकरराम
जाति ~~काट~~ माली निवासी रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः—
1—पोकरराम पुत्र बालूराम जाति माली
2—नैनीदेवी पुत्री पोकरराम जाति माली
3—मीरांदेवी पुत्री पोकरराम जाति माली
4—मंजूदेवी पुत्री पोकरराम जाति माली
सभी निवासीगण रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी
5—तहसीलदार रियांबड़ी
6—पटवारी हलका रियांबड़ी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :—05.06.2018

वादी की ओर निम्न वाद प्रस्तुत है :—

1--यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 हिन्दु है व हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 सगे भाई बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 इनके पिता है।

2—यह है कि मौजा रियांबड़ी की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 667 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 1467/668 रकबा 5.80 हैक्टर कुल रकबा 5.81 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नंबर 1465/668 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1466/668 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 0.28 हैक्टर में सें 1/3 हिस्सा की भूमि वादीगण की काश्त व कब्जासुद आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का सहूलियत से काश्त व कब्जा है। उक्तखसरान की भूमि को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है।

3—यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादीगण के दादा बालूराम की खातेदारी की थी। बालूराम जी के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है।

4—यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त खसरान की भूमि वादीगण को बंट में दे दी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने अपने बंट की एवज में वादीगण से नकदी व जेवरात प्राप्त कर लिये है। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का वादग्रस्त खसरान की भूमि में कोई हक,बंट,अधिकार काश्त व कब्जा नहीं है। वादीगण वादग्रस्त जमीन पर स्वतंत्र रूप से काश्त व काबिज है। तथा खेती करते है। उक्त भूमि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ने बंट में दे रखी है। तब से वादीगण काश्त व कब्जा है। मगर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है। और प्रतिवादी संख्या 1 लोगो की बहकावट व सिखावट में

पीठासीन अधिकारी
राजस्व न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

आकर वादग्रस्त खसरान को बेचान करने पर उतारू है। जिससे वादीगण यह दावा घोषणा का पेश कर रहे है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये जबाब हेतू तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक है और सहमति से खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। पिता पुत्रो के बीच खातेदारी घोषणा की जानी है। जो वाजिब है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदीयो का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी 5.81 हैक्टर भूमि सेपरेट दर्ज है तथा 0.28 भूमि 1/3 भाग सह खातेदारी की दर्ज है। वादीगण अपने नाम उक्त आराजी की घोषणा करवाने हेतू वाद पेश किया है। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादीगण का वाद जरिए सहमति के स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त खसरान की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है कि :–

" मौजा रियांबड़ी की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 667 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 1467/668 रकबा 5.80 हैक्टर कुल रकबा 5.81 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नंबर 1465/668 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 1466/668 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 0.28 हैक्टर में सें 1/3 हिस्सा की भूमि वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।" इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–रियांबड़ी

निर्णय दिनांक 05.06.2018को राजस्व लोक अदालत कैम्प रियांबड़ी में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प– रियांबड़ी